

NHB(ND)/ROD/HFC/CIRC-01/2020-21
July 20, 2020



All Eligible Housing Finance Companies

Madam / Dear Sir,

**Amendment in the Certificate of Adverse Balance
Refinance Circular No. 01/2020-21**

National Housing Bank (NHB) had issued a circular No. CIRC-02/2019-20 on Adverse Balance Certificate on December 09, 2019, advising the Housing Finance Companies (HFCs) to submit the newly introduced return NHB-HFC-10 on quarterly basis and revised NHB-HFC-05 on half-yearly basis.

2. Bank has made an amendment in the existing circular and the amendment is as under:

Earlier stipulation	Revised stipulation
The Adverse balance certificate (NHB-HFC-10 and NHB-HFC-05) to be submitted on quarterly and half-yearly basis shall also include that all loans flagged/tagged /earmarked to NHB are standard and the DPD (days past due) is not more than 30 days.	The Adverse balance certificate (NHB-HFC-10 and NHB-HFC-05) to be submitted on quarterly and half-yearly basis shall also include that all loans flagged/tagged /earmarked to NHB are standard and unencumbered .

3. Other stipulations as mentioned in the CIRC No. 02/2019-20 dated December 09, 2019 shall remain unchanged.

4. The related clause in the Adverse balance return (NHB-HFC-10 and NHB-HFC-05) also stands amended as under:

(iv) The loan accounts, for which refinance has been taken from NHB, are in standard category and unencumbered, and in conformity with the sanctioned terms.

5. The excel formats of the revised adverse balance returns are uploaded in NHB's website. HFCs are advised to follow the process mentioned in the revised adverse balance returns, while arriving at the adverse balance. HFCs are advised to strictly adhere to the timelines and submit the stipulated returns within the prescribed timeline.

Yours faithfully,

(K. Chakravarthy)

General Manager

Refinance & Project Finance Department

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाइट : www.nhb.org.in ईमेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

.आ.बैंक(नदि)/आरओडी/आ.वि.कं./परिपत्र-01/2020-21

20 जुलाई, 2020

सभी पात्र आवास वित्त कंपनियां

महोदया / महोदय,

प्रतिकूल शेष के प्रमाणपत्र में संशोधन
पुनर्वित्त परिपत्र सं. 01/2020-21

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को प्रतिकूल शेष प्रमाणपत्र पर परिपत्र सं. परिपत्र-02/2019-20 जारी किया था, जिसमें आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) को तिमाही आधार पर नए शुरु की गई विवरणी रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-10 प्रस्तुत करने और छमाही आधार पर रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-05 को संशोधित करने की सूचना दी गई थी।

2. बैंक ने मौजूदा परिपत्र में संशोधन किया है और संशोधन निम्नानुसार है:


पूर्व शर्तें	संशोधित शर्तें
तिमाही और छमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिकूल शेष प्रमाणपत्र (रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-10 और रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-05) में यह भी शामिल होगा कि रा.आ.बैंक को चिह्नित / टैग / उद्दिष्ट सभी ऋण मानक हैं और डीपीडी (पिछले) 30 दिनों से अधिक नहीं है।	तिमाही और छमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिकूल शेष प्रमाणपत्र (रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-10 और रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-05) में यह भी शामिल होगा कि रा.आ.बैंक को चिह्नित / टैग / उद्दिष्ट सभी ऋण मानक और भार रहित है।

3. दिनांक 09 दिसंबर, 2019 के परिपत्र सं. 02/2019-20 में उल्लिखित अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. प्रतिकूल शेष विवरणी (रा.आ.बैंक-आ.वि.कं. -10 और रा.आ.बैंक-आ.वि.कं. -05) में संबंधित खंड भी निम्नानुसार संशोधित है:
(iv) ऋण खातों, जिनके के लिए रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त लिया गया है, वे मानक श्रेणी में हैं तथा भार-रहित और संस्वीकृत शर्तों के अनुरूप हैं।

5. संशोधित प्रतिकूल शेष विवरणी का एक्सेल प्रारूप रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आ.वि.कं को सूचित किया जाता है कि प्रतिकूल शेष की गणना करने के दौरान संशोधित प्रतिकूल शेष विवरणी में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करें। आ.वि.कं. को सूचित किया जाता है कि वे समयसीमा का पूरी तरह से पालन करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्धारित विवरणी जमा करें।

भवदीय,



(के. चक्रवर्ती)

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त तथा परियोजना वित्त विभाग